

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 61/2021

1. भीमसिंह पुत्र साजन जाति मेघवंशी निवासी गढड़ा त० भादरा ।
2. मदनसिंह पुत्र साजन जाति मेघवंशी निवासी गढड़ा त० भादरा ।

:- वादीगण

ब न म

1. साजन पुत्र श्योकरण जाति मेघवंशी निवासी गढड़ा त० भादरा ।
2. मैना देवी पुत्री साजन जाति मेघवंशी निवासी गढड़ा त० भादरा ।
3. मीरा देवी पुत्री साजन जाति मेघवंशी निवासी गढड़ा त० भादरा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा ।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढड़ा के खाता सं० 218/198 के खसरा सं० 243/2 की 5.210 है० कुल 5.210 है० बरानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 साजन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं० 1 साजन की बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं० 1 भीमसिंह वादी सं० 2 मदनसिंह प्रतिवादी सं० 1 साजन को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.6.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।-



(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 61/2021

1. भीमसिंह पुत्र साजन जाति मेघवंशी निवासी गढड़ा त० भादरा ।
2. मदनसिंह पुत्र साजन जाति मेघवंशी निवासी गढड़ा त० भादरा ।

:- वादीगण

ब नाम

1. साजन पुत्र श्योकरण जाति मेघवंशी निवासी गढड़ा त० भादरा ।
2. मैना देवी पुत्री साजन जाति मेघवंशी निवासी गढड़ा त० भादरा ।
3. मीरा देवी पुत्री साजन जाति मेघवंशी निवासी गढड़ा त० भादरा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा ।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०का०त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादी

वकील श्री विनोद शर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 28.6.21



सक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा गढड़ा के खाता सं० 218/198 के खसरा सं० 243/2 की 5.210 है० कुल 5.210 है० बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 साजन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा श्योकरण की खातेदारी हुआ करती थी। श्योकरण के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 साजन ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं० 4 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 भीमसिंह पुत्र साजन निवासी गढड़ा द्वारा प्रतिवादी गढड़ा संवत 2075-78 प्रदर्श 1 खसरा मिलान प्रदर्श 2 व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति सावित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही गढड़ा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी गढड़ा संवत 2075-78 प्रदर्श 1 खसरा मिलान प्रदर्श 2 व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना सावित है तथा प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार साजन के दो पुत्र भीमसिंह, मदनसिंह व दो पुत्री मैना देवी, नीरा देवी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना सावित है तथा वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 जन्म से हक हिस्सा निहित है। चूंकि प्रतिवादी सं 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काविल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढड़ा के खाता सं 218/198 के खसरा सं 243/2 की 5.210 है 0 कुल 5.210 है 0 वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 साजन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 साजन की वजाय वादीगण व प्रतिवादी सं 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 भीमसिंह वादी सं 2 मदनसिंह प्रतिवादी सं 1 साजन को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्या डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.21..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



28
सहायक (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़